कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :एफ 14(ट्रा.बिल)2013 / वसु / प्रमुवसं / पार्ट–8 / 5087 दिनांक 3.6.13

मुख्य वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी,
अरावली भवन, जयपुर ।

विषयः–अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम, 2008 के संबंध में वनभूमि पर हकपत्रों के रेकॉर्ड के संबंध में पृथक रजिस्टर संधारण करने एवं वनाधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत विपथन की सूचना संकलित करने बाबत।

संदर्भः–राज्य सरकार का पत्रांक प. 8 (10) वन / 2005 पार्ट दि. 12.3.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार के संदर्भित पत्र एवं इस के संलग्नक वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृत वन अधिकारों का रजिस्टर परिशिष्ट ''अ'' एवं सामुदायिक वन अधिकारों का रजिस्टर परिशिष्ट ''ब'' एवं वन अधिकार अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वनभूमि को गैर वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त स्वीकृत प्रस्तावों हेतु निर्धारित प्रपत्र इत्यादि की प्रतियां संलग्न प्रेषित है। अतः कृपया इन्हें विभागीय अधिकारियों एवं जन साधारण की सुविधा हेतु विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें, ताकि संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को संकलित सूचना इस कार्यालय को प्रतिमाह भिजवाना सुविधाजनक हो सकें।

1958
5.6.13

संलग्नः–उक्तानुसार।

CCF IT
4/6/13

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक,
वनसुरक्षा वनभवन, जयपुर।

E:- ML 86

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प08(10)वन / 2005 पार्ट

जयपुर, दिनांकः— 12.03.2013

प्रेषितः—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ)
राजस्थान जयपुर

892,
14/3/13

PCCF(TREE)

विषयः— अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 के संबंध में वनभूमि पर हक पत्रों के रेकार्ड के संबंध में पृथक रजिस्टर संधारण करने बावत्।

संदर्भः— आपका पत्र क्रमांक एफ.14(ट्रा.बिल)2012 / वनिस / अप्रमुवसं / 152 दिनांक 02.01.2013

13/3/13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ1(वन)(10)निगरानी समिति / सीटीएडी / 2012 / 2565 दिनांक 10.2.2013 के साथ संलग्न परिशिष्ट "अ" व "ब" अनुसार वनभूमि के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रर संधारण करने हेतु सहमति दे दी गयी है।

APCCF(FP)

अतः उक्त पत्र की प्रति मय परिशिष्टों के संलग्न कर निवेदन है कि विभाग द्वारा दो प्रपत्रों अनुसार रजिस्ट्रर संधारण करने हेतु सभी संबंधित को निर्देशित करते हुए प्रति प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर, आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित करने का श्रम करे।

भवदीय

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

1000
14-3-13

परिशिष्ट–'अ'

वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृत वन अधिकारों का रजिस्टर

जिला   वन मण्डल   रेंज   गॉव

क्र.सं.	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी अधिकार पत्र का कमांक व दिनांक	वन अधिकार पत्र धारक का विवरण			अनुसूचित जनजाति /अन्य परम्परागत वन निवासी	वन अधिकार प्रयोजन	वन अधिकार पत्र धारक के आश्रितों का विवरण		वन अधिकार पत्रों में शामिल भूमि का विवरण			सीना बिन्दुओं का विवरण			विशेष विवरण	प्रविष्टिकर्ता कर्मचारी के तिथि युक्त हस्ताक्षर	चैकिंग कर्ता अधिकारी के तिथि युक्त हस्ताक्षर
		एकल धारक का नाम / पति–पत्नी का नाम	पिता/माता का नाम	पता (ग्राम पंचायत, तहसील, जिला पूर्ण विवरण सहित			नाम	सम्बन्ध	ग्राम,ग्राम पंचायत तहसील जिला पूर्ण विवरण सहित	खसरा न0	क्षेत्रफल हैक्टर में	नाम वन खण्ड	कम्पार्टमेंट संख्या	जीपीएस एड्रेस			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

परिशिष्ट–'ब'

वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वन अधिकारों का रजिस्टर

जिला   वन मण्डल   रेंज   गॉव

क्रं.सं.	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी अधिकार पत्र का कमांक व दिनांक	सामूदायिक वन अधिकारीं के धारको के नाम/ग्राम सभा का नाम	सामूदायिक अधिकारों का प्रयोजन	ग्राम पंचायत तहसील	अनुसूचित जनजाति अन्य परामपरागत वन निवासी	क्षेत्रफल हैक्टरयर में	खसरा नम्बर	वन खण्ड	कम्पार्टमेंट एड्रेस	जीपीएस एड्रेस	विशेष विवरण	प्रविष्टी कर्ता कर्मचारी के हस्ताक्षर	चैकिंग कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PROFORMA

Monthly Progress Report regarding diversion of forest land for provision of developmental facilities under Section 3(2) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006

Name of the State : ____________

As on the end of Month of ____________

No. - District

Total No. of proposals received from the User Agencies for approval for diversion of forest land under Section 3(2) of the Act.	Total No. of proposals received from the User Agencies, approved for diversion of forest land.	Details of the developmental facilities envisaged under the proposals which have been approved for diversion of forest land.	Details of the developmental facilities actually provided so far, if any, by diversion of forest land.	The extent of forest land approved for diversion for the developmental facilities, specified in column 3. [In hectares]	Total No. of proposals received from the User Agencies not approved for diversion of forest land.	Total No. of proposals received from the User Agencies for diversion of forest land still pending.	Reasons for the pendency of the proposals mentioned in column (7).
1	2	3	4	5	6	7	8